[Shri M. C. Daga]

to the Joint Committee on the Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, and the Limitation Act, 1963 in the vacancy caused by the death of Shri Nawal Kishore and do communicate to this House the name of the member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint a member of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, and the Limitation Act, 1963 in the vacancy caused by the death of Shri Nawal Kishore and do communicate to this House the name of the member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

12.57 hrs.

RULES COMMITTEE

SIXTH REPORT

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): I beg to move·

"That this House do agree with the Sixth Report of the Rules Committee laid on the Table on the 2nd May, 1975."

MR. SPEAKER: This question is:

"That this House do agree with the Sixth Report of the Rules Committee laid on the Table on the 2nd May, 1975."

The motion was adopted.

12.57-1/2 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

REPORTED DISSATISFACTION AMONGST UNIVERSITY AND COLLEGE TEACHERS OF MADHYA PRADESH

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अनेक राज्यों ने, जिनमें महाराष्ट्र और हरयाणा भी सम्मिलित हैं, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयो के शिक्षकों के नये वेतन-मानों को लागू कर दिया है तथा अन्यान्य मांगों को भी स्वीकार कर लिया है । गुजरात राज्य ने उन सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार किया है लेकिन अभी तक उनको अमल में नही लाये है । किन्तु मध्य प्रदेश द्वारा यू० जी० सी० के वेतनमानों को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट करने से मध्यप्रदेश में स्थिति भयंकरतम होती जा रही है । वहा पर शिक्षकों ने हड़ताल कर दी है और परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है, परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है जिसके कारण विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय होने जा रहा है । प्रदेश सरकार द्वारा उक्त शिक्षकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है वह अत्यन्त खेदजनक है । व्यापारिक गतिरोध से इंजीनियरिंग और मैडिकल में जाने वाले विद्यार्थी, नीचे की परीक्षाएं न होने के कारण आगे जाने में असमर्थ रहेंगे । मामला अत्यधिक गंभीर है अतः केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे । विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने भी इस बारे में केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है तथा समस्या के समाधान के लिए आग्रह किया है । इसलिये केन्द्रीय सरकार इस मामले

मे हस्तक्षेप कर के इस समस्या का तुरन्त समाधान करे, वरना स्थिति और भी भयकर हो सकती है ।

मैं आशा करता हू कि शिक्षा मत्री महोदय श्री नुरुल हसन इस बारे मे वक्तव्य देने की कृपा करेगे । साथ ही मे चाहता हू कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने जो सिफारिशे की है वे सभी राज्यो मे समान रूप से लागू हो । मध्य प्रदेश राज्य इस बारे मे जो असहानता बरत रहा है उसको दूर करना चाहिये ताकि शिक्षको मे फैला हुआ असतोष दूर हो सके तथा विद्यार्थियो के भविष्य पर भी विपरीत असर न पडे ।

THE MINISTER OF FINANCE (Shri C Subramaniam) I beg to move

(*Interruptions*)

MR SPEAKER It is impossible for this House to continue It is very difficult to carry on the business

(*Interruptions*)

13.00 hrs

MR SPEAKER This will not go on record

आज लच आवर रखा हुआ है । क्या आप लच आवर चाहते हैं ? जब हम लोग इतनी देर तक बिना लच आवर के काम करते रहे हैं, तो अब तीन चार दिन के लिए लच आवर रख कर क्या करना है ?

We have a short time I think we can continue to sit during lunch hour also. I put it to you that we continue to sit.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad) We want lunch hour. This is the last week For the whole of the budget session, we have not had any proper lunch

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मदसौर) अध्यक्ष महोदय, यह तय किया गया था कि 5 मई तक—जब तक फिनांस बिल पास न हो जाये, तब तक—लच आवर नही होगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगर हम इन चार दिनो मे लच आवर न रखे, तो हाउस को तीन चार घटे और मिल जायेंगे ।

क्या आप को लच आवर चाहिए या नही ?

कुछ माननीय सदस्य : नही ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर लच आवर नही होगा ।

श्री राजावतार शास्त्री (पटना) अध्यक्ष महोदय, क्या लच आवर नही होगा ?

SHRI P G MAVALANKAR We want lunch hour and lunch, both

MR SPEAKER I have seen the position We are in a very tight position That is why I put it to you that we continue as before We will have the lunch hour on the last day

13 02 hrs.

COMPANIES (TEMPORARY RESTRICTIONS ON DIVIDENDS) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C SUBRAMANIAM) I beg to move *

"That the Bill to amend the Companies (Temporary Restrictions on Dividends) Act, 1974 be taken into consideration."

*Moved with the recommendation of the President.